न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री छगन पुत्र खेताजी, जाति- घांची, निवासी- पाडीव, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 25/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार

-: निर्णय :- **दिनांक 18 नवम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 06/2020 में पारित निर्णय दिनांक 07.7.2020 बाबत ग्राम पाडीव, पटवार हल्का पाडीव के खसरा संख्या 2256 रकबा 0.30 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मोके से बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस भूमि पर अपीलार्थी का अवैध कब्जा माना है, उस भूमि की किस्म गै.मु. कातरा है व कातरा भूमि पर न तो खेती बाडी हो सकती है एवं न ही कोई निर्माण हो सकता है, तो फिर अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर अपीलार्थी का उक्त भूमि पर अवैध कब्ज़ा माना है? इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई कारण नही दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका स्थिति का सही विवेचन नही किया है एवं केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि [illegible] नही किया है व आज भी मौका की स्थिति वैसी ही है, जैसी पूर्व में थी। [illegible] ने विवादित भूमि पर बाडा बनाकर कोई अतिक्रमण नही किया है व न ही ऐसी [illegible]र्थी की कोई मंशा है। अत:

.....पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अपीलर्थी की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, पाडीव द्वार संवत 2076 में अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, पाडीव द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 2256 रकबा 0.30 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07.7.2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ग्राम पाडीव, पटवार हल्का पाडीव के खसरा संख्या 2256 रकबा 0.30 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

18/11/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:46:37 IST
Reason: SelfAttested